विलोपित विलोपित

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

पुर्नविलोकन 0253/2019/विदिशा/भू.रा.सं.

प्र0क0 /2019 पुर्नविलोकन

कल्लू पुत्र घसीटा निवासी ग्रम पामाखेडी हाल निवास –हाजीपुर तहसील सिरोज जिला विदिशा म.प्र.

............आवेदक

श्री सुनील सिंह .... द्वारा आज दि0 7-2-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-3-19 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-2-19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

अशोक कुमार पुत्र श्री खुशीलाल चौरसिया निवासी –ग्रम करीमावाद तहसील सिरोज जिला विदिशा म.प्र.

..........अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध पारित माननीय एम.गोपाल रेडडी प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा निगरानी 236/एक/2008 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.1.2019 को पुर्नविलोकन करने वावत ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–:

1. यहकि ,प्रकरण के संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि करीमावाद स्थित खसरा कमाक 100 रकवा 2.529 हे. भूमि आवेदक एंव उसके भाई पूरन को म.प्र शासन द्वारा बंटन पर पटटे पर प्राप्त हुई थी जिस भूमि को वगैर कलेक्टर महोदय से विकय की अनुमति लिये धारा 165 का उल्लघ करते हुये अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.4.1980 द्वारा वगैर सूचना पत्र व हितवद्ध पक्षकार को सुनवाई का मोका दिये मात्र 24

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 0253/2019/विदिशा/भू0रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/8/19	यह रिव्यु प्रकरण निगरानी प्रकरण क्रमांक 236-एक/2008 में पारित आदेश दिनांक 10-01-2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । रिव्यु प्रकरण को ग्राह्यता के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक को सुना गया तथा न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । पुनर्विलोकन के जो आधार याचिका में प्रस्तुत किये गये हैं वे समस्त बिन्दुओं का निराकरण प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10-01-2019 में पर्याप्त रूप से किया गया है । किसी पक्षकार के लम्बे समय तक मुकदमेबाजी करने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अन्यायपूर्ण आदेश जारी हुये हैं । तथ्यों तथा विधि के प्रावधानों के अनुरूप निगरानी में पारित किये गये आदेश को पुनर्विलोकन में लिये जाने का कोई आधार याचिका में उपलब्ध नहीं है । अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को भेजा जाये । (इकबाल सिंह बैंस) 27/8/19 अध्यक्ष	